

FORM NO.111

फर्द अहकाम





(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

करण सिंह वगैरे बनाम रामसिंह वगैरे

क्रिम मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर-5 / 2023

क्रिम मुकदमा	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये
28.08.2023	<p>वकील डिफ्डीदार श्री कमल कुमार शर्मा एडवो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 28.04.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) </p> <p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई वकील डिफ्डीदार उपस्थित। प्रकरण में पटवार हल्मा बवठरुड के हाल पटवारी ने अग्रत कराया कि प्रकरण में आवलाइन मिलान करने पर बस-भामालम हाता पारित निर्णय व डिफ्डी की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जारी नामान्तरण करण सं- 447 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इती स्तर पर रखाजि-रिसे जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैशल बुगर होकर बाद तहसील दफ्तरल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>	<p>जमा. सं. 447 14.08.2023</p> <p style="text-align: center;">  17.08.23 20/8/2023 </p> <div style="text-align: right;">  </div>

4-3-25